

गैर-गोपनीय



मामला सं. एडी (ओआई)13/2025

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

अंतिम जांच परिणाम

चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'मोबाइल कवर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच



मोबाइल कवर का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण

गैर-गोपनीय

विषय-सूची

क. मामले की पृष्ठभूमि	5
ख. प्रक्रिया	7
ख.1 जाँच की शुरुआत	7
ख.2 आवेदन के अगोपनीय संस्करण का परिचालन	8
ख.3 संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भागीदारी	8
ख.4 आयातकों/ प्रयोक्ताओं द्वारा सहभागिता	9
ख.5 एसोसिएशनों द्वारा सहभागिता	10
ख.6 जांच अवधि और क्षति अवधि	10
ख.7 आयात आंकड़े	11
ख.8 पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार	11
ख.9 आर्थिक हित प्रश्नावली	11
ख.10 मौखिक सुनवाई	11
ख.11 घरेलू उत्पादकों का प्रतिदर्श चयन	11
ख.12 आगे की प्रक्रिया	12
ग. विचाराधीन उत्पाद	13
ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध	13
ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	14
ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच	15
घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति	18
घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध	18
घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	18
घ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच	20
इ. गोपनीयता	22

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध.....	22
ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध.....	23
ड.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच.....	23
च. विविध अनुरोध	25
च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध	25
च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	26
च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच	26
छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन.....	27
छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध	27
छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	28
छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच	29
छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण	30
छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण.....	33
छ.3.3 पाटन मार्जिन का निर्धारण	35
ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध	36
ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध	36
ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	38
ज.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच	39
झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण	50
क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य	50
ख. मांग में संकुचन.....	50
ग. उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन	50
घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं.....	51
ड. प्रौद्योगिकी में विकास	51

गैर-गोपनीय

च. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन	51
छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन	51
झ. कारणात्मक संबंध सिद्ध करने वाले कारक	52
क्षति मार्जिन की मात्रा	52
ट. भारतीय उद्योग का हित	54
ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध	54
ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	54
ट.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच	55
ठ.प्रकटन-पश्चात टिप्पणियाँ	59
ठ.1अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	59
ठ.2घरेलू उद्योग के विचार	60
ठ.3प्राधिकारी द्वारा जांच	61
ड.निष्कर्ष	62
ढ.सिफारिश	65
ण.आगे की प्रक्रिया	67

गैर-गोपनीय

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/13/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग ,संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 24.09.2026

अंतिम जांच परिणाम

मामला संख्या - एडी (ओआई) - 13/2025

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोबाइल कवर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/13/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या 'पाटनरोधी नियमावली' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. ऑल इंडिया मोबाइल कवर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे 'एआईएमसीएमए', 'आवेदक' या 'आवेदक एसोसिएशन' कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार, घरेलू उत्पादकों की ओर से चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है, तथा संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों को "संबद्ध आयात" अथवा "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मोबाइल कवर (जिसे इसके बाद

गैर-गोपनीय

"विचाराधीन उत्पाद", "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तुएं" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

2. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग विखंडित है और इसमें बड़ी संख्या में घरेलू उत्पादक शामिल हैं, अतः पाटनरोधी शुल्क जांच के लिए आवेदक एसोसिएशन, एआईएमसीएमए द्वारा अपनी सदस्य इकाइयों की ओर से प्रस्तुत किया गया था। व्यापार सूचना सं. 11/2021 दिनांक 18 नवंबर, 2021 के अंतर्गत यथा-संशोधित व्यापार सूचना सं. 09/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 (सामूहिक रूप से, "व्यापार सूचना 9/2021") के अंतर्गत यथा-अपेक्षित विहित प्रारूप में समस्त संगत जानकारी प्रदान की गई थी।
3. आवेदक एसोसिएशन की निम्नलिखित सदस्य कंपनियों (जिन्हें इसके बाद "आवेदक घरेलू उत्पादक" अथवा "आवेदक कंपनियां" भी कहा गया है) ने वर्तमान जांच के लिए जानकारी प्रदान की:

- i. एकाई प्लास्टिक
- ii. बालाजी इनमोल्ड एंटरप्राइज
- iii. डीएस मोबीकेस
- iv. गायत्री इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन
- v. एचएंडके कवर
- vi. जे मार्ट ऑनलाइन
- vii. जेपी केस
- viii. केके प्रोडक्ट
- ix. पवनसुत प्लास्टोपैक एलएलपी
- x. एस.के. इंडस्ट्रीज.
- xi. एस.आर. प्लास्टिक
- xii. सन पॉलीप्लास्ट
- xiii. टीके केस
- xiv. उगम इंडस्ट्रीज
- xv. उगम मैन्युफैक्चरिंग
- xvi. विद्या पॉलिमर्स
- xvii. झेनयु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

गैर-गोपनीय

4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करने और ऐसी क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना फा. सं. 6/13/2025-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर, 2025 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी करके चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

5. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है:

ख.1 जांच की शुरुआत

- i. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संबद्ध देश में उत्पादित अथवा संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित किए जाने तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आरोप लगाया गया था।
- ii. नियम 5(5) के अनुसार, जांच की शुरुआत किए जाने से पूर्व प्राधिकारी ने वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- iii. नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 29 सितंबर 2025 को एक सार्वजनिक सूचना ("जांच शुरुआत अधिसूचना") जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, जिसके द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई।
- iv. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/उपयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी तथा उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

- v. सभी ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, आयातकों तथा घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई। आर्थिक हित प्रश्नावली उपभोक्ता मामले मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को भी भेजी गई।

ख.2 आवेदन के अगोपनीय संस्करण का परिचालन

- i. प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति उपलब्ध कराई। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जहां भी उनके द्वारा अनुरोध किया गया, आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति उपलब्ध कराई गई।

ख.3 संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भागीदारी

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

क. एओतियान मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

ख. एशियन स्टार सप्लाइ चैन कंपनी लिमिटेड

ग. डोंगगुआन वीबी टेक्नोलॉजी

घ. ईगल विजन ग्लोबल लिमिटेड

इ. गोल्डन वेव लिमिटेड

च. ग्वांगझोउ फिनो

छ. ग्वांगझोउ फिनो इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड

ज. ग्वांगझोउ शिनफांग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

झ. जिहाओ ट्रेड कंपनी लिमिटेड

ञ. न्यूवे ट्रेडिंग डेवलपमेंट लिमिटेड

ट. प्रोसब टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

ठ. शेनझेन केसर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड

ड. सिल्वरी सेज लिमिटेड

ढ. स्टार इन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

ण. यीवू कियाया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

गैर-गोपनीय

- ii. प्राधिकारी ने भारत में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावलियां भेजीं। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया कि वह चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दे।
- iii. निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों/व्यापारियों ने इस जाँच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपना पंजीकरण कराया है और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक
1	डोंगगुआन लोंगचेंग लेदरवेयर कंपनी लिमिटेड
2	डोंगगुआन कियांगशुओ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
3	फू ताई ट्रेडिंग लिमिटेड
4	हाई ऑनेस्ट ग्रैंड लिमिटेड
5	स्पाइजेन कोरिया कंपनी लिमिटेड

ख.4 आयातकों/ प्रयोक्ताओं द्वारा सहभागिता

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं को जाँच शुरूआत अधिसूचना की प्रति के साथ आयातक अथवा प्रयोक्ता प्रश्नावली प्रेषित की और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी:

- क. एकोनाइट ओवरसीज
- ख. अलीशा इम्पेक्स
- ग. आरव ट्रेडिंग कंपनी
- घ. देबांजन इम्पेक्स
- ड. ड्रीमलैब्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
- च. एज एंटरप्राइजेज
- छ. फ्यूजन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड
- ज. खुराना कम्युनिकेशन
- झ. कुमार ट्रेडिंग कॉरपोरेशन
- ञ. मातुशी ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड

गैर-गोपनीय

- ट. मिलियंस कार्ट प्राइवेट लिमिटेड
 ठ. ओम इंटरनेशनल
 ड. क्यूवीसी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
 ढ. आरआरसी एंटरप्राइजेज
 ण. सैंड झ्यून्स इम्पेक्स
 त. सिद्धार्थ इनोवेशंस एंड मार्केटिंग कंपनी
 थ. सोनीमैक्स एंटरप्राइजेज
 द. यूनिकॉर्न इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
 ध. वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 न. वायटीएल मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
- ii. निम्नलिखित आयातकों, प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता संघों ने वर्तमान कार्यवाही में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है और आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क्र.सं.	आयातक/प्रयोक्ता/एसोसिएशन
1	इन्को टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	स्पाइजेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ख.5 एसोसिएशनों द्वारा सहभागिता

- i. जॉच शुरूआत अधिसूचना और आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति निम्नलिखित एसोसिएशनों को भेजी गई थी:
- क. एसोचैम
 ख. सीआईआई
 ग. फिक्की
- iii. वर्तमान जांच में किसी भी एसोसिएशन ने भाग नहीं लिया है।

ख.6 जांच अवधि और क्षति अवधि

- i. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच अवधि शामिल है।

ख.7 आयात आंकड़े

- i. क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के सौदा-वार आयात आंकड़ों के लिए डीजीसीआईएस से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने सौदों की विधिवत जांच के बाद आयात की मात्रा और आवश्यक विश्लेषण की गणना के लिए डीजीसीआईएस आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ख.8 पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

- i. निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ परिचालित करने का निर्देश दिया गया था।

ख.9 आर्थिक हित प्रश्नावली

- i. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों अथवा उत्पादकों, आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

ख.10 मौखिक सुनवाई

- i. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 5 मई 2026 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे इसके बाद लिखित प्रस्तुतियां और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

ख.11 घरेलू उत्पादकों का प्रतिदर्श चयन

- i. व्यापार सूचना सं. 09/2021 के पैरा 7 के अनुसार, प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु आवेदक घरेलू उत्पादकों के विस्तृत जाँच को सीमित कर दिया। प्राधिकारी ने दिनांक 23 जनवरी 2026 के पत्र द्वारा निम्नलिखित इकाइयों को नमूने के हिस्से के रूप में चुना:

क. बालाजी इनमोल्ड

ख. पवनसुत प्लास्टोपैक

ग. उगम इंडस्ट्रीज

घ. उगम मैनुफैक्चरिंग

ख.12 आगे की प्रक्रिया

- i. प्राधिकारी ने जांच शुरू होने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे (उत्पाद के दायरे) और उत्पाद नियंत्रण संख्या पद्धति पर टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 7 नवंबर 2025 के अपने नोटिस के माध्यम से वर्तमान जांच के लिए विचार किए जाने वाले उत्पाद दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्या पद्धति को अधिसूचित किया, जिसे प्राधिकारी की वेबसाइट पर भी अधिसूचित किया गया था।
- ii. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- iii. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षतिरहित कीमत की गणना यह सुनिश्चित करने के लिए की कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। क्षतिरहित कीमत की गणना आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और नियमावली के अनुबंध III को ध्यान में रखते हुए भारत में समान वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत और उत्पादन एवं बिक्री लागत के आधार पर की गई है।
- iv. प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम को तैयार करने में कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई जानकारी और प्रस्तुत अनुरोधों की उस सीमा तक जांच की, जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित थे और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए थे।
- v. नियम 6(8) के अनुसार, जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान समय पर आवश्यक जानकारी देने से इनकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं।
- vi. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की पर्याप्तता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां उचित समझा, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका

- खुलासा नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी का एक अगोपनीय सारांश प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
- vii. जांच के दौरान, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया, जो यथासंभव वर्तमान अंतिम जांच परिणाम का आधार बनती है और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों अथवा दस्तावेजों को संगत, व्यावहारिक और आवश्यक मानी गई सीमा तक सत्यापित किया।
 - viii. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम जांच परिणाम करने हेतु विचाराधीन सभी सारभूत तथ्यों वाला प्रकटन विवरण दिनांक 14 सितंबर 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की, संगत सीमा तक, जांच की है। कोई भी ऐसा अभ्यावेदन जो केवल पूर्व अभ्यावेदन की पुनरावृत्ति मात्र था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पहले ही पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी थी, संक्षिप्तता के हित में दोहराया नहीं गया है।
 - ix. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई जानकारी को दर्शाता है।
 - x. प्राधिकारी द्वारा विषयगत जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 85.43 है। यह दर जांच की अवधि के दौरान लागू उन विनिमय दरों का औसत है, जिन्हें केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आयातित माल के मूल्य के संपरिवर्तन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। इन अंतिम जांच परिणामों में सर्वत्र यही दर लागू की गई है।

स्रोत: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>

ग. विचाराधीन उत्पाद

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे, समान वस्तु और उत्पाद नियंत्रण संख्या पद्धति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए:

गैर-गोपनीय

- i. स्पाइजेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (स्पाइजेन इंडिया) ने एस्कैन एरामिड फाइबर और नॉन-येलोइंग पॉलीकार्बोनेट केस से बने मोबाइल कवर को बाहर करने की मांग की थी।
- ii. एस्कैन एरामिड केस अधिक लागत वाला एक प्रीमियम उत्पाद है और इसका उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एरामिड फाइबर केस का कोई समान उत्पाद नहीं है। इसके लिए एक अनूठी, गैर-मानक प्रक्रिया और तकनीक की आवश्यकता होती है जो भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पास नहीं है।
- iii. विशेष गैर-पीले पड़ने वाले पॉलीकार्बोनेट सामग्री से बने मोबाइल केस में बेहतर कठोरता और पारदर्शिता बनाए रखने के साथ विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। वे निचले स्तर के पारदर्शी केस बाजार के समान खंड में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। इसलिए, यह घरेलू उद्योग की कीमतों को न तो कम कर रहा है और न ही उनमें कटौती कर रहा है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:
 - i. वह न तो एरामिड फाइबर सामग्री केस का उत्पादन करता है और न ही बेचता है। इसलिए, इसे बाहर रखा जा सकता है। तथापि, घरेलू उद्योग नॉन-येलोइंग पॉलीकार्बोनेट केस का उत्पादन और बिक्री करता है और उसने इसे प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इसलिए, इसे बाहर नहीं रखा जा सकता है।
 - ii. निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या निर्धारित की गई थी:
 - iii.

क्र सं.	विवरण	पीसीएन	कोड
1.	प्लास्टिक	टीपीयू	पी-1
		सिलिकॉन	पी-2
		अन्य	पी-3
2.	पॉलीकार्बोनेट	पॉलीकार्बोनेट	पीसी-1
3.	अन्य	अन्य	ओ

- iii. आकार और कच्चे माल में भिन्नता के परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तुओं की लागत या कीमत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आता है।
- iv. संबद्ध वस्तुओं को बनाने में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख कच्चा माल थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन है, जबकि पॉलीकार्बोनेट का उपयोग आम तौर पर स्वतंत्र रूप से करने के बजाय थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन के संयोजन में किया जाता है।
- v. थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन और पॉलीकार्बोनेट की कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता है, और कच्चे माल का चयन मोबाइल कवर की कुल लागत या कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करता है।
- vi. समान अवधि के लिए दोनों कच्चे माल के खरीद बीजक दर्शाते हैं कि दोनों की कीमतें तुलनीय हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

8. जाँच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद मोबाइल फोन के लिए 'मोबाइल कवर' हैं, जिन्हें मोबाइल फोन केस, स्मार्टफोन केस, सुरक्षात्मक मोबाइल शैल, मोबाइल फोन सुरक्षात्मक कवर के रूप में भी जाना जाता है। ये मोबाइल फोन, जिनमें आम तौर पर स्मार्टफोन शामिल हैं, को भौतिक क्षति से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किए गए सुरक्षात्मक सामान हैं। मोबाइल कवर का उपयोग एक सहायक वस्तु के रूप में भी किया जाता है और यह प्रयोक्ताओं की व्यक्तिगत शैली में योगदान देता है। वे कार्यात्मक हैं और एक व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम करते हैं। मोबाइल कवर कई डिज़ाइनों, रंगों और पैटर्नों में उपलब्ध हैं।"

9. जाँच शुरुआत अधिसूचना में सभी हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्पाद दायरे और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां दर्ज करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्राधिकारी को कई हितबद्ध पक्षकारों से उत्पाद के कुछ प्रकारों को बाहर करने का अनुरोध करने वाले अनुरोध प्राप्त हुए।

10. 'एस्कैन एरामिड केस' को जाँच से बाहर करना: एक हितबद्ध पक्षकार ने यह कहते हुए 'एस्कैन एरामिड केस' को बाहर करने का अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद का

उत्पादन नहीं करता है और इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। घरेलू उद्योग इस तरह के अपवर्जन से सहमत था और उसने अनुरोध किया कि चूंकि घरेलू उद्योग इसका उत्पादन और बिक्री नहीं कर रहा है, इसलिए इसे बाहर रखा जा सकता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 7 नवंबर 2025 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे से एस्किन एरामिड केस को बाहर कर दिया।

11. 'थिन फिट क्लियर केस (विशेष नॉन-येलोइंग पॉलीकार्बोनेट सामग्री)' का अपवर्जन: एक हितबद्ध पक्षकार ने यह कहते हुए 'विशेष नॉन-येलोइंग पॉलीकार्बोनेट सामग्री से बने थिन फिट क्लियर केस' को बाहर करने का अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग इस सामग्री का उपयोग नहीं करता है, जिसमें घरेलू उद्योग के स्पष्ट केसों की तुलना में बेहतर कठोरता और पारदर्शिता बनाए रखने की क्षमता होती है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग द्वारा नॉन-येलोइंग पॉलीकार्बोनेट केस का उत्पादन और बिक्री की जा रही है, और इसलिए इसे बाहर नहीं किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने आवेदक कंपनियों में से एक द्वारा बेचे गए नॉन-येलोइंग पॉलीकार्बोनेट केसों की बिक्री के बीजक भी प्रदान किए। प्राधिकारी ने बेचे जा रहे नॉन-येलोइंग पॉलीकार्बोनेट सामग्री केस के उत्पादन और बिक्री का सत्यापन किया है, इसलिए, तदनुसार यह निर्धारित किया जाता है कि यह अपवर्जन प्रदान नहीं किया जा सकता है।

पीसीएन पद्धति

12. पीसीएन पद्धति जाँच शुरूआत अधिसूचना में किसी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया गया था। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर कच्चे माल के आधार पर पीसीएन पद्धतियों का प्रस्ताव रखा। घरेलू उद्योग ने खरीद चालानों के माध्यम से साक्ष्य प्रदान किए, जिसमें विचाराधीन कच्चे माल में से प्रत्येक के लिए समान समय अवधि शामिल थी। प्रस्तुत अनुरोधों और रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी पर विचार करने के बाद, यह देखा गया कि विभिन्न कच्चे माल की कीमतें समान सीमा में थीं और उनमें कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखा। तदनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि विभिन्न कच्चे माल के उपयोग के कारण विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन

गैर-गोपनीय

लागत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था, और इस आधार पर किसी अलग पीसीएन की आवश्यकता नहीं थी।

13. इस प्रकार, की गई अनुरोधों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 7 नवंबर 2025 के अपने नोटिस द्वारा उत्पाद अपवर्जन को निर्दिष्ट करते हुए संशोधित उत्पाद दायरे को अधिसूचित किया, और दर्ज किया कि वर्तमान जांच में कोई पीसीएन पद्धति अपनाने की आवश्यकता नहीं थी। सूचना का संगत भाग नीचे उद्धृत है:

"...हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टिप्पणियां और प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और किए गए सभी अनुरोधों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का एक संशोधित दायरा अपनाया है और वर्तमान जांच के लिए कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई है। विचाराधीन उत्पाद का संशोधित दायरा निम्नानुसार है:

"3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद मोबाइल फोन के लिए 'मोबाइल कवर' हैं, जिन्हें मोबाइल फोन केस, स्मार्टफोन केस, सुरक्षात्मक मोबाइल शैल, मोबाइल फोन सुरक्षात्मक कवर के रूप में भी जाना जाता है। ये मोबाइल फोन, जिनमें आम तौर पर स्मार्टफोन शामिल हैं, को भौतिक क्षति से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किए गए सुरक्षात्मक सामान हैं। मोबाइल कवर का उपयोग एक सहायक वस्तु के रूप में भी किया जाता है और यह प्रयोक्ताओं की व्यक्तिगत शैली में योगदान देता है। वे कार्यात्मक हैं और एक व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम करते हैं। मोबाइल कवर कई डिज़ाइनों, रंगों और पैटर्नों में उपलब्ध हैं।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे में एस्किन एरामिड केस (एरामिड फाइबर सामग्री) शामिल नहीं है।"

14. विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। संबद्ध वस्तुओं का आयात उप-शीर्ष 392690, 392610, 392640, 851779, 851760 और 851770 के अंतर्गत अध्याय 39 और अध्याय 85 के अंतर्गत विभिन्न कोडों के अंतर्गत किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

गैर-गोपनीय

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक गुणों, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विशिष्टताओं, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जाता है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- i. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए ऑल इंडिया मोबाइल कवर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा 43 सदस्य कंपनियों की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- ii. भारत में संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात उत्पादक एसोसिएशन के सदस्य हैं और सामूहिक रूप से, यह भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन के 'प्रमुख हिस्सा' के रखते हैं।
- iii. आवेदन की आवश्यकताओं के अनुसार, निम्नलिखित 17 आवेदक घरेलू उत्पादकों ने अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की है:
 - क. एकोर्ड प्लास्टिक
 - ख. बालाजी इनमोल्ड एंटरप्राइज
 - ग. डीएस मोबीकेस
 - घ. गायत्री इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन

- ड. एचएंडके कवर
 - च. जे मार्ट ऑनलाइन
 - छ. जेपी केस
 - ज. केके प्रोडक्ट
 - झ. पवनसुत प्लास्टोपैक एलएलपी
 - ञ. एस.के. इंडस्ट्रीज
 - ट. एस.आर. प्लास्टिक
 - ठ. सन पॉलीप्लास्ट
 - ड. टीके केस
 - ढ. उगम इंडस्ट्रीज
 - ण. उगम मैनुफैक्चरिंग
 - त. विद्या पॉलिमर्स
 - थ. झेनयु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
- iv. अन्य सदस्य उत्पादकों से उनके उत्पादन पर जानकारी मांगने के लिए संपर्क किया गया था। इसके अभाव में, आवेदक ने अन्य सदस्य उत्पादकों के उत्पादन के हिस्से का सर्वोत्तम अनुमान लगाया है।
 - v. इसके अलावा, भारतीय मोबाइल कवर उद्योग में मुख्य रूप से सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं जो व्यापक रूप से बिखरे हुए हैं, जिससे पूरी और सटीक जानकारी एकत्र करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
 - vi. मूल मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तक पहुंचकर भारतीय उत्पादन पर जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए, तथापि, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
 - vii. मोबाइल कवर के निर्माता मुख्य रूप से राजकोट, गुजरात में स्थित हैं, जिनमें से कुछ निर्माता दिल्ली एनसीआर और महाराष्ट्र में हैं।
 - viii. एसोसिएशन के लगभग 10 सदस्य हैं जो 5 से अधिक वर्षों से मोबाइल कवर के बाजार में हैं, जिनमें से कुछ 10 से अधिक वर्षों से बाजार का हिस्सा रहे हैं।
 - ix. भारतीय मोबाइल कवर उद्योग अत्यधिक बिखरा हुआ है और मुख्य रूप से सूक्ष्म उद्योगों से बना है। विनिर्माण सुविधा स्थापित करने में लगभग 25 लाख से 1 करोड़ रुपये की मामूली कार्यशील पूंजी के साथ मुश्किल से एक महीने का समय लगता है।
 - x. आवेदक कंपनियों ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। आवेदक कंपनियां संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक या आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं। इस प्रकार, आवेदक

पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनने के योग्य है और आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति की आवश्यकता को पूरा करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

18. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का अर्थ समान वस्तु के निर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में लगे समय घरेलू उत्पादकों से है या जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित रूप से पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या वे स्वयं उसके आयातक हों, ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' शब्द को शेष उत्पादकों के संदर्भ में माना जा सकता है।"

19. वर्तमान मामले में आवेदन 2021 की व्यापार सूचना 9 के अंतर्गत निर्धारित जानकारी के साथ एआईएमसीएमए द्वारा निम्नलिखित 17 सदस्य कंपनियों से प्रस्तुत किया गया है:

- i. एकाई प्लास्टिक
- ii. बालाजी इनमोल्ड एंटरप्राइज
- iii. डीएस मोबीकेस
- iv. गायत्री इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन
- v. एचएंडके कवर
- vi. जे मार्ट ऑनलाइन
- vii. जेपी केस
- viii. केके प्रोडक्ट
- ix. पवनसुत प्लास्टोपैक एलएलपी
- x. एस.के. इंडस्ट्रीज
- xi. एस.आर. प्लास्टिक
- xii. सन पॉलीप्लास्ट
- xiii. टीके केस
- xiv. उगम इंडस्ट्रीज

- xv. उगम मैन्युफैक्चरिंग
- xvi. विद्या पॉलिमर्स
- xvii. झेनयु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

20. इसके अलावा, निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया:

- i. हरि लक्ष्मण एंटरप्राइज
- ii. नवरंग मेगा एक्सेसरीज
- iii. प्रतीक एंटरप्राइज
- iv. पीवी कम्युनिकेशन
- v. राधे इंजीनियरिंग

21. प्राधिकारी इस तथ्य का संज्ञान लेते हैं कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक मुख्य रूप से अति लघु कंपनियां हैं और उद्योग बिखरा हुआ है। परिणामस्वरूप, समग्र रूप से भारतीय उद्योग के उत्पादन के संबंध में जानकारी के कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोत नहीं हैं। इसलिए प्राधिकारी ने एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर विचार किया है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में चिंता नहीं जताई है। रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से देखा गया है कि कुल भारतीय उत्पादन *** नग (लाख में) है और 17 आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादन *** लाख नग है। आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 47% है। इसके अलावा, आवेदन का समर्थन करने वाली कंपनियों के साथ आवेदक कंपनियों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 69% है।

22. आवेदक कंपनियों ने यह भी प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक से संबंधित हैं।

23. उद्योग की सूक्ष्म, लघु और मध्यम प्रकृति तथा बिखरी हुई प्रकृति और इसमें शामिल उत्पादकों की संख्या को देखते हुए, प्राधिकारी ने दिनांक 29 जुलाई 2021 की व्यापार

गैर-गोपनीय

सूचना 09/2021 के संदर्भ में, उक्त व्यापार सूचना के अनुबंध I के अनुसार घरेलू उत्पादकों से जानकारी मांगी थी। इसके अलावा, नोटिस के आधार पर, प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों का नमूना चयन किया:

- i. बालाजी इनमोल्ड
- ii. पवनसुत प्लास्टोपैक
- iii. उगम इंडस्ट्रीज
- iv. उगम मैन्युफैक्चरिंग

24. परिणामस्वरूप, जबकि घरेलू उद्योग का गठन करने वाले सभी उत्पादकों से संबंधित जानकारी पर क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया जाता है, क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण नमूना घरेलू उत्पादकों के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

25. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आवेदक कंपनियां नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में 'घरेलू उद्योग' का गठन करती हैं, और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) में निर्धारित स्थिति संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है।

इ. गोपनीयता

इ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने क्षति आंकड़ों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और व्यापार सूचना 10/2018 में सूचीबद्ध गोपनीयता मापदंडों से विचलन किया है। विशेष रूप से:
 - क. बिक्री मात्रा और मूल्य के लिए समग्र आंकड़े वास्तविक रूप में प्रदान किए जाने थे;
 - ख. माल सूची, बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में माल सूची और उत्पादन के लिए समग्र आंकड़ों वास्तविक रूप में प्रदान किया जाना था;
 - ग. प्रति इकाई ब्याज और कर पूर्व लाभ - घरेलू बिक्री वास्तविक आधार पर प्रदान की जानी थी;

गैर-गोपनीय

- घ. ब्याज लागत और मूल्यहास के लिए समग्र आकड़ों वास्तविक आधार पर प्रदान किया जाना था;
- ड. क्षतिरहित कीमत के लिए समग्र वास्तविक आकड़ों 10% के आंकड़े के दायरे के साथ प्रदान किया जाना था।
- ii. *भारत संघ बनाम मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड* मामले में निर्णय दिया गया कि संवेदनशील जानकारी की रक्षा की जा सकती है, लेकिन उचित अगोपनीय सारांश के अभाव में निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय जानकारी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और यदि गोपनीयता अनुचित है, तो सूचना को अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- व्यापार सूचना 10/2018 के संदर्भ में वैधानिक गोपनीयता व्यवस्था का अनुपालन किया गया है।
 - प्रतिवादियों के लिए मामले को समझने के लिए आवश्यक अगोपनीय सामग्री प्रस्तुत की गई थी।
 - किए गए कोई भी विचलन व्यापार सूचना के अनुरूप हैं, जो यह प्रावधान करती है कि "यदि इसके लिए अनुरोध करने वाला पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष इसके लिए उचित कारण सिद्ध कर सकता है, तो प्राधिकारी मामले-दर-मामले के आधार पर, इसमें निहित दिशानिर्देशों से विचलन की अनुमति दे सकते हैं"।
 - बिक्री कीमत, घरेलू बिक्री के लिए प्रति इकाई ब्याज और कर पूर्व लाभ, ब्याज लागत और मूल्यहास को सूचीबद्ध रूप में प्रदान किया गया था।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

28. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की गई है:
29. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का एक अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया। जानकारी की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां उचित समझा, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका खुलासा नहीं किया गया है।

31. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने बिक्री कीमत, माल सूची, बिक्री की लागत, बिक्री कीमत, लाभप्रदता, मूल्यहास, ब्याज लागत, नकद लाभ, नियोजित पूंजी और नियोजित पूंजी पर आय, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, मूल्य समायोजन, लाभ संबंधी जानकारी, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि जैसी जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहां भी जानकारी क्षति अवधि के लिए है, वही सूचीबद्ध आधार पर प्रदान की गई है। भारित

गैर-गोपनीय

औसत सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और कीमत कटौती जैसी जानकारी को रेंज में प्रकट किया गया है।

32. हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचनाओं के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है, जहां ऐसी जानकारी उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। उन मामलों में जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया है, उन पर गोपनीयता का दावा किया गया है। जहां कहीं भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय होने का दावा किया है, यह नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि ये दस्तावेज सारांश के योग्य नहीं हैं और उन्होंने कारण बताए हैं कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

33. प्राधिकरण ने संबंधित पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारणों तथा सूचना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए गोपनीयता के प्रत्येक दावे की जाँच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार से संबंधित संवेदनशील जानकारी के गोपनीय होने का दावा किया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां उचित समझा, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका खुलासा नहीं किया गया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. प्रस्तुत किए गए आवेदन के अनुसार, वियतनाम से आयात भारत में कुल आयात का 3% है और संबद्ध देश की तुलना में काफी कम कीमतों पर है। तथापि, वियतनाम को संबद्ध देशों के दायरे से बाहर रखा गया है।
- ii. यदि वियतनाम से आयात आवश्यक सीमा से अधिक है, तो यह क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध में एक स्पष्ट कारणात्मक संबंध स्थापित करता है और इसलिए जांच को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किया गया आयात आकड़ों त्रुटिपूर्ण और अविश्वसनीय है।

- iv. विचाराधीन उत्पाद का आयात विभिन्न सीमा शुल्क कोडों के अंतर्गत होता है, जिसमें थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन अथवा प्लास्टिक शीट, घटक और उपकरण अथवा सहायक उपकरण जैसे कच्चे माल, तैयार मोबाइल फोन से असंबंधित गैर-विचाराधीन उत्पाद वस्तुएं शामिल हैं, और विचाराधीन उत्पाद की पृथक्करण पद्धति प्रदान नहीं की गई है।
- v. आयात विभिन्न इकाइयों में किया जाता है, जैसे नग, वजन आदि। तथापि, वजन से नग में रूपांतरण अनुपात, जो प्रत्येक प्रकार के कवर (थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन, सिलिकॉन, चमड़ा, कठोर प्लास्टिक), मोटाई, मॉडल या डिज़ाइन के लिए अलग-अलग होगा, उसे आवेदन से हटा दिया गया है।
- vi. एरामिड फाइबर केस मोबाइल कवर को बाहर करने के बाद, घरेलू उद्योग ने आयात आकड़ों और परिणामी क्षति को अद्यतन और संशोधित नहीं किया है।
- vii. मूल्यानुसार शुल्क प्रपत्र अपनाया जाना चाहिए, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान किया जाना चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

35. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वियतनाम से आयात का हिस्सा कुल आयात मात्रा का 2.78% है, इस प्रकार, यह सीमा से कम है। आयात विवरण वियतनाम के आयात मात्रा हिस्से को 3% दर्शाता है क्योंकि इसे निकटतम अंक में पूर्णांकित किया गया था।
- ii. आयात के पृथक्करण की पद्धति प्रस्तुत आवेदन के अनुबंध ड के रूप में प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, विश्लेषण के लिए केवल नगों में आयात पर विचार किया गया है।
- iii. घरेलू उद्योग एरामिड फाइबर सामग्री से मोबाइल कवर का उत्पादन नहीं करता है, और इसलिए घरेलू उद्योग के आंकड़ों में कोई अपवर्जन करने की आवश्यकता नहीं है।
- iv. आयात से किए जाने वाले किसी भी अपवर्जन को प्राधिकारी द्वारा अपने स्वयं के आयात आंकड़ों में किया जाना चाहिए।
- v. वर्तमान जांच में उत्पाद श्रृंखला काफी विस्तृत है, और यदि मूल्यानुसार शुल्क लगाया जाता है, तो अधिकांश आयात क्षतिकारी कीमतों पर आते रहेंगे, जबकि उच्च मूल्यों पर कीमत वाले आयात अनुचित रूप से प्रभावित होंगे।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि चूंकि आयात में वियतनाम की 3% हिस्सेदारी है और आयात की कीमतें संबद्ध देश की आयात कीमत से बहुत कम हैं, इसलिए वियतनाम

को एक संबद्ध देश के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था। आगे यह तर्क दिया गया है कि चूंकि वियतनाम को जांच से गलत तरीके से बाहर रखा गया था, इसलिए कारणात्मक संबंध में व्यवधान उत्पन्न होता है, और तदनुसार जांच समाप्त की जानी चाहिए। इस संबंध में, डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वियतनाम या कोई अन्य देश संबद्ध देशों के दायरे में शामिल किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि चीन के अलावा किसी अन्य देश के लिए आयात की मात्रा नगण्य है अर्थात् 3% से कम है। इसलिए, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए, चीन जनवादी गणराज्य ही एकमात्र संबद्ध देश है।

37. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा जिस आयात आंकड़ों पर भरोसा किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग ने वह जानकारी प्रस्तुत की थी जो संगत समय पर उसके पास उपलब्ध थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आयात आंकड़ों पर नहीं बल्कि डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों से आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।
38. हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने आयात के पृथक्करण पद्धति के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। यह देखा गया है कि आयात पृथक्करण पद्धति, जिसमें उत्पाद विवरण के पहचानकर्ता शामिल हैं, घरेलू उद्योग के आवेदन के साथ संलग्न थी।
39. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने एस्किन एरामिड फाइबर केसों को बाहर करने के बाद संशोधित आंकड़ों प्रदान नहीं किया, प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि चूंकि घरेलू उद्योग इसका उत्पादन नहीं करता है, इसलिए एस्किन एरामिड फाइबर केसों के अपवर्जन ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को प्रभावित नहीं किया, और इसलिए, आंकड़ों में कोई संशोधन आवश्यक नहीं माना गया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- निर्यातक का निर्यात कीमत चीन से होने वाले आयातों के औसत पहुंच मूल्य से काफी अधिक है, जो पाटन और क्षति की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

41. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों अथवा निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(2) और 8(3) के साथ पठित पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।
 - चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15(क)(ii) दिसंबर 2016 अर्थात अनुच्छेद 15(ख) के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य के विश्व व्यापार संगठन में एक्सेसन के 15 वर्ष बाद में समाप्त हो गया। तथापि, अनुच्छेद 15(क)(i), जो चीन जनवादी गणराज्य के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का प्रावधान करता है, अभी भी लागू है। इसलिए, चीन जनवादी गणराज्य पाटनरोधी जांच के लिए एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।
 - किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में बिक्री कीमत या लागत सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, और भारत में आयातों पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत में वस्तुओं का बड़े पैमाने पर पाटन किया जा रहा है। किसी भी अन्य देश से आयात नगण्य हैं और इसलिए, सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
 - चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय मूल्य पर किया गया है, जो बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है।
 - जांच अवधि में इतनी बड़ी मात्रा का पाटन मार्जिन स्वयं निष्पक्ष बाजार स्थितियों में गंभीर विकृति का एक अकाट्य संकेतक है और यह स्थापित करता है कि चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातक सामान्य बाजार अर्थशास्त्र के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, बल्कि भौतिक रूप से अनुचित मूल्य निर्धारण के माध्यम से कर रहे हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

42. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए होने पर, व्यापार के सामान्य क्रम में, समान वस्तु के लिए तुलनीय मूल्य से है। यह धारा नीचे दी गई है:

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

(ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

क्र.सं.	उत्पादक / निर्यातक
1.	डोंगगुआन लॉन्गचेंग लेदरवेयर कंपनी लिमिटेड
2.	डोंगगुआन कियांगशुओ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
3.	फू ताई ट्रेडिंग लिमिटेड
4.	हाई ऑनेस्ट ग्रैंड लिमिटेड
5.	स्पिजेन कोरिया कंपनी लिमिटेड

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

44. विश्व व्यापार संगठन में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

15(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।*
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है,*

यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

45. यह देखा गया है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान, एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा करते हुए पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी अथवा आंकड़ों के माध्यम से नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा करने की अपेक्षा करते हैं।

46. चूंकि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करते हुए अनुपूरक प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जो इस प्रकार है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान किया गया या देय मूल्य शामिल है, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित किया गया हो। संबंधित देश के विकास के स्तर और विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा, और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय जानकारी का उचित ध्यान रखा जाएगा। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी भी समान मामले में की गई जांच का, जहां उपयुक्त हो, समय सीमा के भीतर ध्यान रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के पूर्वोक्त चयन के बारे में बिना किसी अनुचित देरी के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए एक उचित समय दिया जाएगा।"

47. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित कीमत के आधार पर किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य

देश के लिए कीमत के आधार पर किया जाएगा, या जहां यह संभव नहीं है, किसी भी उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान किया गया या देय कीमत शामिल है, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित किया गया हो। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 के अंतर्गत प्रदान किए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

48. यह नोट किया जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई जानकारी अथवा साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार, एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका। एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से किसी अन्य देश के लिए संबद्ध वस्तुओं की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं का कोई समर्पित कोड नहीं है। भारत में आयात की कीमत पर भी विचार नहीं किया जा सका क्योंकि भारत में अधिकांश आयात संबद्ध देश से ही हैं। ऐसी जानकारी अथवा साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत सहित किसी भी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण ने भारत में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर, विधिवत समायोजन करने के पश्चात, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ को जोड़कर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। यथा-निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

49. अलग-अलग उत्पादकों अथवा निर्यातकों के निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए आगे बढ़ने से पहले, प्राधिकारी निम्नलिखित को अभिलिखित करना उचित समझते हैं। दो सहयोगी उत्पादकों, डोंगगुआन कियांगशुओ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और डोंगगुआन लोंगचेंग लेदरवेयर कंपनी लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान भारत को कुल मिलाकर संबद्ध वस्तुओं के *** नगों का निर्यात किया है। इसके विपरीत, जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से

गैर-गोपनीय

संबद्ध वस्तुओं का कुल आयात *** लाख नग है। इस प्रकार सहयोगी उत्पादकों का निर्यात संबद्ध देश से कुल आयात का लगभग 0.05% है, शेष का निर्यात उन उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा किया गया है जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है।

50. प्राधिकारी तदनुसार नोट करते हैं कि सहयोगी उत्पादकों की निर्यात कीमत केवल उनके द्वारा निर्यात की गई नगण्य मात्रा की प्रतिनिधि है, और इसे समग्र रूप से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता है।

i. डोंगगुआन कियांगशुओ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

51. डोंगगुआन कियांगशुओ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद की एक उत्पादक अथवा निर्यातक है और उसने जांच अवधि के दौरान भारत में असंबंधित ग्राहकों को अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध वस्तुओं के *** नग बेचे हैं। उत्पादक ने व्यापारी फू ताई ट्रेडिंग लिमिटेड के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया, जिसने बाद में कोरिया गणराज्य के एक अन्य व्यापारी स्पाइजेन कोरिया कंपनी लिमिटेड को सामान बेचा, जिसने अंततः अपने संबंधित आयातकों, स्पाइजेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इन्को टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भारत में ग्राहकों को सामान बेचा है। सभी पक्षकारों ने निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है।

52. प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और उत्पादक अथवा निर्यातक द्वारा किए गए दावों की जांच की है। प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए समायोजनों की डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ii. डोंगगुआन लोंगचेंग लेदरवेयर कंपनी लिमिटेड

53. डोंगगुआन लोंगचेंग लेदरवेयर कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद की एक उत्पादक अथवा निर्यातक है और उसने जांच अवधि के दौरान भारत में असंबंधित ग्राहकों को दो माध्यमों से संबद्ध वस्तुओं के *** नग बेचे हैं। पहला, संबद्ध वस्तुओं का निर्यात हांगकांग के व्यापारी हाई ऑनेस्ट ग्रांट लिमिटेड के माध्यम से किया गया था, जिसने बाद में कोरिया

के स्पाइजेन कोरिया कंपनी लिमिटेड को माल का व्यापार किया, जिसने अंततः अपने संबंधित आयातकों, स्पाइजेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इन्को टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भारत में ग्राहकों को माल बेचा। दूसरा, उत्पादक ने सीधे व्यापारी, कोरिया के स्पाइजेन कोरिया कंपनी लिमिटेड को भी सामान बेचा है, जिसने बाद में आयातक, स्पाइजेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इन्को टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भारत में ग्राहकों को सामान बेचा है। सभी पक्षकारों ने निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है।

54. प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए समायोजनों को डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

असहयोगी उत्पादकों अथवा निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

55. चीन जनवादी गणराज्य के असहयोगी उत्पादकों अथवा निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।
56. प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों अथवा निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सौदा-वार जानकारी, संगत आयात आकड़ों और जांच के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर निर्यात कीमत की जांच की है। कारखाना-द्वार निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए जहां भी लागू हो, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, पत्तन व्यय, हैंडलिंग शुल्क और अंतर्देशीय भाड़ा शुल्क के कारण समायोजन किए गए हैं। निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य को पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन का निर्धारण

57. ऊपर दिए गए अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य और यथा-निर्धारित निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

गैर-गोपनीय

क्र. सं.	उत्पादक	सीएनवी	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन (डा./लाख नग)	पाटन मार्जिन (%)	(रेंज)
		(डा./लाख नग)	(डा./लाख नग)			
1	डोंगगुआन कियांगशुओ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
2	डोंगगुआन लॉन्गचेंग लेदरवेयर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
3	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	360-380

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

58. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत क्षति संबंधी आकड़े कई मामलों जैसे कि उत्पादन, घरेलू बिक्री और भारतीय मांग के संबंध में असंगत और गलत है।
- यद्यपि क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है।
- कोई कीमत क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में बदलाव के अनुरूप अपनी कीमतों में बदलाव करने में सक्षम रहा है।

- iv. आवेदक ने न तो कुल भारतीय मांग प्रदान की है, और न ही इसने आयातों की बाजार हिस्सेदारी या मांग के संबंध में आयातों में सापेक्ष वृद्धि प्रदान की है।
- v. कीमत कटौती और वित्तीय निष्पादन संबंधित नहीं हैं; इसका एक विपरीत संबंध है। यह देखा गया है कि आधार वर्ष में कीमत कटौती 125% से घटकर वर्ष 2022-23 में 95% हो गई। सामान्य तौर पर, लाभ में वृद्धि होनी चाहिए थी, तथापि, इसी अवधि में यह 100 से घटकर 42 हो गया।
- vi. आवेदकों की क्षमता, घरेलू बिक्री, उत्पादन, मजदूरी और नियोजित पूंजी सभी ने एक सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई है, जो क्षति की अनुपस्थिति का संकेत देती है।
- vii. जैसे-जैसे आयात बढ़ा, वैसे-वैसे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता भी बढ़ी। यदि आयात क्षति का कारण होता, तो घरेलू उद्योग पूरी क्षति अवधि के दौरान निरंतर गिरावट का सामना करता रहता।
- viii. अन्य हितबद्ध पक्षकार उच्च गुणवत्ता वाले सामान बेचते हैं जो बेहतर सामग्री, डिजाइन और स्थायित्व के कारण अधिक कीमत के होते हैं। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग कम कीमत वाले उत्पाद बेचता है। इस प्रकार, दोनों प्रत्यक्ष रूप से तुलनीय नहीं हैं, और कीमतों की कोई भी तुलना अनुचित है।
- ix. हितबद्ध पक्षकारों के 85-90% सामान ₹600 से ऊपर बेचे जाते हैं, जबकि व्यापक बाजार में इन उच्च कीमत स्तरों में केवल 25-35% मात्रा देखी जाती है। व्यापक बाजार ₹100 से कम की सीमा में केंद्रित है।
- x. घरेलू उद्योग ने यह भी स्वीकार किया था कि लगभग 88% आयात ₹10 प्रति इकाई के कीमत वर्ग में केंद्रित हैं। यह खंड अधिकांश आयात मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है और घरेलू उद्योग की क्षति का प्राथमिक स्रोत है।
- xi. यह स्पष्ट नहीं है कि उगम इंडस्ट्रीज ने अपने परिचालन बंद कर दिए या उन्हें एक में विलय कर दिया। बावजूद इसके, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया आयात काफी अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप ऋणात्मक कीमत कटौती होती है, और इस प्रकार, घरेलू उत्पादकों पर कोई दबाव नहीं पड़ता है।
- xii. यह क्षेत्र अत्यधिक कम प्रवेश बाधाओं, बिखरे हुए परिचालनों, कम पूंजी निवेश आवश्यकताओं और त्वरित प्रवेश तथा निकास की विशेषता वाला है। ऐसी विशेषताएं स्वाभाविक रूप से एक अस्थिर और असंगठित उद्योग का संकेत देती हैं जहां बंद होना एक व्यावसायिक घटना है, जो आयात से असंबंधित है।
- xiii. कम क्षमता उपयोग, बंद होना आदि कम गुणवत्ता वाले उत्पादों, नवाचार की कमी और कमजोर बाजार पहुंच से उत्पन्न आंतरिक समस्याओं के परिणाम हैं।

- xiv. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान नई क्षमताएं स्थापित की गई थीं, ऐसी इकाइयां विशेष रूप से तेजी से बदलाव वाले क्षेत्र में, तुरंत इष्टतम स्तर पर काम नहीं कर सकती हैं।
- xv. गंभीर क्षति का दावा करने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान क्षमताओं में वृद्धि की, जो असंगत निवेश व्यवहार को दर्शाता है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

59. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. जांच अवधि में संबद्ध देश से आयात में 9 गुना की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- ii. उत्पादन और उपभोग के संबंध में भी आयात में काफी वृद्धि हुई है और यह भारतीय मांग के लगभग तीन-चौथाई हिस्से पर नियंत्रण रखता है।
- iii. आयात घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत को महत्वपूर्ण रूप से कम कर रहे हैं। इसके अलावा, संबद्ध आयातों का लगभग संपूर्ण हिस्सा व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है।
- iv. जांच अवधि में बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई, तथापि, लागत में वृद्धि कीमत में वृद्धि से अधिक थी, जिससे घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बना।
- v. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई।
- vi. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है, जिसमें जांच अवधि में मामूली गिरावट आई है।
- vii. क्षमता में वृद्धि के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में मामूली वृद्धि हुई है।
- viii. क्षमता उपयोग आधार वर्ष से 2022-23 तक बढ़ा और उसके बाद इसमें मामूली गिरावट आई। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग काफी कम है।
- ix. देश में पर्याप्त मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग की क्षमता का अत्यंत कम उपयोग किया गया है।
- x. भारतीय मांग में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष से 2023-24 तक घटी और जांच अवधि में इसमें मामूली वृद्धि देखी गई। संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी, तथापि 2023-24 तक बढ़ी और जांच अवधि में थोड़ी गिरावट दिखाई दी, फिर भी काफी अधिक है।
- xi. लाभप्रदता मापदंड आधार वर्ष से 2022-23 तक घटे, जांच अवधि में फिर से घटने से पहले 2023-24 में मामूली वृद्धि दिखाई दी।
- xii. घरेलू उद्योग की औसत माल सूची क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ी।

- xiii. क्षति अवधि के दौरान वेतन और मजदूरी के साथ-साथ कर्मचारियों के स्तर में भी वृद्धि हुई।
- xiv. घरेलू उद्योग का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है और इसने मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों में प्रतिकूल वृद्धि दर्ज की है।
- xv. पाटित आयात बाजार के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं, और लागत से कम होने के कारण, घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक देते हैं।
- xvi. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान निवेश किया और क्षमताओं में वृद्धि की। तथापि, पाटित आयातों के प्रवाह ने आगे के निवेश के लिए पूंजी हासिल करने और जुटाने की उद्योग की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

60. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में *"... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..."* ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है ।

61. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों को ध्यान में रखते

गैर-गोपनीय

हुए उनका विश्लेषण किया है। इसके अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को संबोधित करता है।

I. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

62. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	सं. (लाख में)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	131	135
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	सं. (लाख में)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	112	125
संबद्ध देश से आयात	सं. (लाख में)	10	643	765	572
अन्य देशों से आयात	सं. (लाख में)	-	3	4	0
कुल आयात	सं. (लाख में)	10	646	769	572
कुल भारतीय मांग	सं. (लाख में)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	267	296	259

63. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान मांग में काफी वृद्धि हुई है और आधार वर्ष की तुलना में इसमें 2.5 गुना के ऊपर वृद्धि देखी गई है। मांग में इस तरह की वृद्धि के

गैर-गोपनीय

बावजूद, घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की बिक्री में मांग में ऐसी वृद्धि के अनुरूप आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है।

II. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

64. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष या पूर्ण रूप से कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। संगत जानकारी नीचे दी गई है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध देश से आयात	सं. (लाख में)	10	643	765	572
अन्य देशों से आयात	सं. (लाख में)	-	3	4	0
कुल आयात	सं. (लाख में)	10	646	769	572
निम्न के संबंध में आयात					
भारतीय उत्पादन	%	5%	243%	268%	204%
खपत	%	2%	56%	60%	51 %

65. संबद्ध वस्तुओं के आयात में 2022-23 में अचानक वृद्धि देखी गई है, 2023-24 में और वृद्धि हुई है, और जांच अवधि में इसमें गिरावट आई है। भारत में लगभग सभी आयात चीन से हुए हैं। यह देखा गया है कि उत्पादन और उपभोग के संबंध में आयात में भी क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें जांच अवधि में गिरावट आई है। आयात भारतीय उत्पादन और भारतीय उपभोग का क्रमशः 204% और 51% हिस्सा हैं।

III. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

66. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा

गैर-गोपनीय

कीमतों को कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य रूप से हो गई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य के लिए, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री वसूली की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

67. कीमत कटौती विश्लेषण के उद्देश्य के लिए, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की तुलना संबद्ध देश से आयात के पहुंच कीमत से की गई है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देश से कीमत कटौती को दर्शाती है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
पहुंच कीमत	रु./सं.	18.37	4.98	4.11	2.14
निवल बिक्री कीमत	रु./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	96	99
कीमत कटौती	रु./सं.	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	रेंज	नकारात्मक	65-75	115-125	330-340

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष में कीमत कटौती ऋणात्मक थी। इसके बाद पहुंच कीमत में तेजी से गिरावट आई है और संबद्ध वस्तुएं वर्ष 2022-23 से घरेलू उद्योग की कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से कम कर रही हैं।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

69. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से कम करना है या ऐसी कीमत

गैर-गोपनीय

वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना निम्नानुसार की जाती है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	रू./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	97	101
पहुंच कीमत	रू./सं.	18.37	4.98	4.11	2.14
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	27	22	12
निवल बिक्री कीमत	रू./सं.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	90	96	99

70. उपरोक्त से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत में 2022-23 में गिरावट आई और उसके बाद जांच अवधि तक वृद्धि हुई। तथापि, बिक्री लागत में वृद्धि घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक है। घरेलू उद्योग बिक्री कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा है और इसलिए कोई उचित लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। यह देखा गया है कि पूरा उद्योग लघु उद्योग है और यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उत्पादक, छोटे पैमाने के निर्माता होने के नाते, इतने कम कीमत वाले आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। वे महत्वपूर्ण नुकसान उठाए बिना पाटित आयातों के पहुंच कीमत की बराबरी नहीं कर सकते हैं।
71. यह भी देखा गया है कि आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत के स्तर से काफी नीचे है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकलते हैं कि आयात की पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबाया है, जिसके कारण क्षति अवधि के दौरान कीमतों में वह वृद्धि नहीं हो सकी, जो अन्यथा हुई होती।

IV. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

72. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के अनुसार क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की एक वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में,

नियमावली में आगे प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

73. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
क्षमता	सं. (लाख में)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	124	130
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	107	107
उत्पादन	सं. (लाख में)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	133	131
घरेलू बिक्रियाँ	सं. (लाख में)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	131	135

74. यह देखा गया है कि:

- क. देश में बढ़ती मांग को देखते हुए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि इस तथ्य के कारण भी है कि कई आवेदक कंपनियों ने आधार वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू किया और बाद में अपने परिचालन का विस्तार किया।
- ख. घरेलू उद्योग उप ईष्टतम स्तरों पर काम करना जारी रखे हुए है, जिसमें स्थापित क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह गया है। जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग

केवल ***% था, और भारतीय बाजार में मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद लगभग ***% स्थापित क्षमता निष्क्रिय रही।

- ग. क्षति अवधि के दौरान कई आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादन शुरू करने के कारण क्षति अवधि में उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। तथापि, यह वृद्धि मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के अनुरूप नहीं रही है।
- घ. नए घरेलू उत्पादकों के प्रवेश, स्थापित क्षमता के विस्तार और भारतीय बाजार में मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिक्री में आनुपातिक रूप से सुधार करने में सक्षम नहीं रहा है।

ख. बाजार हिस्सेदारी

75. भारत में घरेलू उद्योग और संबद्ध वस्तुओं के आयात की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

मांग में बाजार हिस्सा	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
चीन	***%	***%	***%	***%
रेंज	0-10%	50-60%	50-60%	50-60%
अन्य देश	***%	***%	***%	***%
रेंज	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
घरेलू उद्योग	***%	***%	***%	***%
रेंज	40-50%	20-30%	20-30%	20-30%
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियाँ	***%	***%	***%	***%
रेंज	40-50%	20-30%	10-20%	20-30%
समग्र रूप से घरेलू उत्पादक	***%	***%	***%	***%
रेंज	90-100%	40-50%	30-40%	40-50%

76. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

गैर-गोपनीय

- क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- ख. यहां तक कि भारतीय उद्योग की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी भी आधार वर्ष के ***% से घटकर जांच अवधि में ***% रह गई।
- ग. भारतीय मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास क्षमता होने के बावजूद, संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय रूप से बढ़ी, जो 2021-22 में ***% से बढ़कर 2022-23 में *** % हो गई, 2023-24 में ***% तक बढ़ गई और जांच अवधि में ***% पर रही।

77. इस प्रकार, यह मन जाता है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू बाजार के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया, जबकि घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी सामूहिक रूप से बाजार के एक-चौथाई से भी कम रह गई है।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

78. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
लाभ/हानि	₹/ सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	17	39	11
पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	124	73
पीबीआईटी	₹/ सं.	***	***	***	***
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	109	95
नकद लाभ	₹/ सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	83	70
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	82	44

गैर-गोपनीय

79. यह देखा गया है कि:

क. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान केवल मामूली लाभ अर्जित किया।

ख. नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के रुझान भी इसी तरह की गिरावट को दर्शाते हैं। नियोजित पूंजी पर आय आधार वर्ष के *** से घटकर जांच अवधि के दौरान *** रह गई, जो घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में एक महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाता है।

80. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उत्पादक, छोटे पैमाने के निर्माता होने के कारण, इतने कम कीमत वाले आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं।

ग. माल सूची

81. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल सूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
आरंभिक मालसूची	सं.लाख	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	सं.लाख	***	***	***	***
औसत मालसूची	सं.लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	154	302	326

82. यह देखा गया है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत माल सूची में महत्वपूर्ण और लगातार वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि औसत माल सूची में यह वृद्धि मांग में वृद्धि के बावजूद हुई है।

घ. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

83. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	122	144
वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***

गैर-गोपनीय

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	105	133
प्रतिदिन उत्पादकता	सं.लाख	***	***	***	***

84. यह नोट किया जाता है कि क्षमताओं के विस्तार के अनुरूप क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या के साथ-साथ वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। आधार वर्ष के स्तर से 2022-23 में प्रति दिन उत्पादकता में वृद्धि हुई और आगे 2023-24 में जांच अवधि तक सुसंगत बनी रही।

इ. वृद्धि

विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	पीओआई
उत्पादन	%	24%	8%	-2%
क्षमता उपयोग	%	3%	-1%	2%
लाभ	%	-83%	198%	-75%
प्रति इकाई लाभ	%	-85%	168%	-76%
नकद लाभ	%	6%	3%	-13%
आरओआई	%	-2%	1%	-2%
मालसूची	%	55%	96%	8%
बिक्रियाँ	%	18%	11%	3%

85. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि उत्पादन, बिक्री, माल सूची और क्षमता उपयोग जैसे मात्रात्मक मापदंडों में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता, नकद लाभ, निवेश पर आय आदि जैसे कीमत मापदंडों के संदर्भ में वृद्धि ऋणात्मक रही है।

च. पाटन की मात्रा

86. पाटन की मात्रा इस बात की सूचक है कि भारत में किस सीमा तक वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। जांच से पता चला है कि जांच अवधि के दौरान असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन धनात्मक और काफी अधिक है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

87. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने क्षति अवधि के दौरान निवेश किया और क्षमताओं में वृद्धि की, तथापि, पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और इसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव, जिसमें क्षति अवधि के दौरान इसकी लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट शामिल है, पूंजी निवेश जुटाने की इसकी क्षमता को प्रभावित करेगा।

ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से काफी कम रही है। इसके अलावा, बिक्री की लागत निवल बिक्री वसूली में वृद्धि से अधिक बढ़ी है, जिससे घरेलू बाजार में कीमत में दबाव हुआ है। इसलिए, पाटित आयात, जिनकी कीमतें काफी कम हैं, घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।

V. क्षति संबंधी विश्लेषण

89. विचाराधीन उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से पता चलता है कि:

- क. संबद्ध देश के निर्यातक जो आयातों के भारी बहुमत के लिए उत्तरदायी हैं, विषय वस्तुओं का भारत में पाटनकारी कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं। निर्धारित पाटन मार्जिन धनात्मक और काफी अधिक है।
- ख. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात में समग्र और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
- ग. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमत को कम कर रहे हैं और उन्होंने कीमत वृद्धि को रोक दिया है, जो अन्यथा सामान्य रूप से बढ़ गई होती।
- घ. क्षति अवधि के दौरान क्षमता और मांग में वृद्धि के बावजूद क्षमता उपयोग काफी कम रहा है।

- ड. संबद्ध वस्तुओं की उल्लेखनीय भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता के बावजूद, घरेलू उद्योग की क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अप्रयुक्त रहा।
- च. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- छ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत माल सूची में वृद्धि हुई है।
- ज. नकद लाभ सहित घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसी प्रकार, क्षति अवधि के दौरान निवेश पर आय में भी कमी आई है।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

90. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या पाटित आयातों के अलावा कोई ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। नीचे यह जांच की गई है कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध कारक घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति में योगदान दे सकते थे।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

91. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय आयात का लगभग 99% है। अन्य देशों से आयात मात्रा में बहुत कम हैं। इसलिए, यह क्षति संबद्ध देश के अलावा किसी अन्य देश से आयात के कारण नहीं हुई है।

ख. मांग में संकुचन

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ग. उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन

93. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृत्ति में किसी भी वास्तविक परिवर्तन का कोई अभिलिखित साक्ष्य नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि किसी भी पक्षकार ने उपभोग

की प्रवृत्ति में किसी भी बदलाव का दावा नहीं किया है। इसलिए, यह कारक क्षति का कारण नहीं है।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं है और प्राधिकारी के संज्ञान में कोई प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं लाई गई है।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। तदनुसार, प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का कारण नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि प्रौद्योगिकी में विकास या बदलाव का किसी भी पक्षकार द्वारा तर्क नहीं दिया गया है।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

96. प्राधिकारी ने अपना क्षति विश्लेषण विशेष रूप से घरेलू उद्योग के घरेलू परिचालनों पर आधारित किया है। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं कर रहा है और उसका ध्यान केवल घरेलू बाजार पर है। इसलिए निर्यात निष्पादन ऐसा कारक नहीं है जो घरेलू बाजार में हुई क्षति की व्याख्या कर सके।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

97. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं से संबंधित आंकड़ों की जांच की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

झ. कारणात्मक संबंध सिद्ध करने वाले कारक

98. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयात, पाटन के प्रभावों के माध्यम से, घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, और निम्नलिखित नोट करते हैं:

- i. संबद्ध देश से आयात की मात्रा पूर्ण रूप से और भारत में उपभोग के सापेक्ष काफी बढ़ गई है, जिसने बाजार के एक प्रमुख और बढ़ते हिस्से पर कब्जा कर लिया है।
- ii. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप 2022-23, 2023-24 और जांच अवधि में महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है।
- iii. संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के स्तर से काफी कम हैं, जिसने बिक्री कीमत में वृद्धि को रोक दिया है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लाभप्रदता का निम्न स्तर बना हुआ है।
- iv. क्षमता और मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग अपने क्षमता उपयोग स्तर को बढ़ाने में असमर्थ रहा है, जो कि काफी कम है।
- v. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में काफी गिरावट आई है, जबकि संबद्ध आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिसने बाजार के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है।
- vi. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध माल सूची में काफी वृद्धि हुई है।
- vii. कोई अन्य ज्ञात कारक पाटित आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति के बीच के कारणात्मक संबंध की मौजूदगी को गलत सिद्ध नहीं करता है। पाटित आयात ही क्षति का निकटतम कारण हैं।

99. ऊपर बताए गए कारणों से, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा वहन की जाने वाली क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

100. प्राधिकारी ने समय-समय पर यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। घरेलू समान वस्तु की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण नमूने में शामिल घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी अथवा आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच

गैर-गोपनीय

कीमत की तुलना के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति अवधि में कच्चे माल और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित के अनुसार क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल संपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (22% की दर से कर-पूर्व) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

101. सहयोगी निर्यातकों के लिए पंहुच कीमत प्रस्तुत प्रत्युत्तर के आधार पर निर्धारित की गई है। आयातों की पंहुच कीमत को निर्धारित करने के लिए लागू सीमा शुल्क का उपयोग किया गया है। संबद्ध देश के सभी असहयोगी उत्पादकों अथवा निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पंहुच कीमत निर्धारित की है।
102. पंहुच कीमत और ऊपर यथा निर्धारित क्षतिरहित कीमत के आधार पर, संबद्ध देश के उत्पादकों अथवा निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	उत्पादक	एनआईपी (अम डा./लाख नग)	पंहुच मूल्य (अम डा./लाख नग)	क्षति मार्जिन (अम डा./लाख नग)	(%)	(रेंज)
1	डोंगगुआन कियान्गशुओ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक

गैर-गोपनीय

2	डोंगगुआन लॉन्गचेंग लेदरवेयर कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
3	अन्य निर्माता और निर्यातक	***	***	***	***	280-300

ट. भारतीय उद्योग का हित

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

103. हितबद्ध पक्षकारों ने जनहित और प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. मोबाइल कवर का उपयोग आमतौर पर भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है और इसलिए शुल्क लगाने से भारत में मोबाइल कवर की लागत और कीमत वास्तविक रूप से प्रभावित होगी।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

104. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. वर्तमान में भारत में संबद्ध वस्तुओं के 40 से अधिक ज्ञात उत्पादक हैं, और ये सभी उत्पादक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम खंड में हैं। संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण विभिन्न उत्पादक बंद होने की कगार पर हैं, जबकि आवेदक और नमूना उत्पादक सहित अन्य जांच अवधि में बंद हो गए हैं।
- ii. एक प्रतिस्पर्धी घरेलू बाजार का होना उपभोक्ताओं के हित में है। इसके अभाव में पूरे बाजार पर चीन से होने वाले आयात का विस्तार हो जाएगा।

- iii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल कवर उद्योग अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित उद्योगों में भी रोजगार को प्रोत्साहित करता है।
- iv. आयात की वर्तमान मात्रा देश में 100 से अधिक विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने का अवसर प्रदान करने के लिए पर्याप्त है।
- v. देश में लगभग 45 मिलियन पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 38% का योगदान करते हैं। एमएसएमई द्वारा अप्रयुक्त क्षमता नकदी प्रवाह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं, कर चूक की ओर ले जाती हैं, उत्पादन योजना और नियंत्रण को बाधित करती हैं, और वेतन भुगतान को बाधित करती हैं।
- vi. घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और देश की जीडीपी में वृद्धि होगी।
- vii. यह उत्पाद एक अंतिम उपभोग उत्पाद है, इसलिए शुल्क लगाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें कोई डाउनस्ट्रीम उद्योग शामिल नहीं है। संबद्ध वस्तुएं अधिकांशतः मध्यम वर्ग के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती हैं और मोबाइल कवर खरीदने वाला व्यक्ति मध्यम से उच्च आय वर्ग में होगा।
- viii. शुल्क लगाने से संबद्ध आयात उचित कीमत पर भारतीय बाजारों में प्रवेश करेंगे।
- ix. संबद्ध वस्तुओं के कच्चे माल में से एक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन पर पहले से ही अधिसूचना संख्या 19/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से शुल्क लगाया गया है। चूंकि अपस्ट्रीम उद्योग पहले से ही संरक्षित है, इसलिए घरेलू उद्योग के लिए प्रदान किया गया कोई भी उपाय थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन उत्पादकों को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम करेगा।
- x. एक एकल विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए लगभग 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी और मुश्किल से 1 महीने की आवश्यकता होती है। इसलिए, यदि समान अवसर प्रदान किया जाता है तो थोड़े ही समय में क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

105. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की थी कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी और घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार करने पर आधारित है।

106. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं को वर्तमान जांच के संबंध में संगत जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके संचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की विनिमेयता, स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, और उन कारकों पर जानकारी मांगी जो पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पन्न नई स्थिति के समायोजन में तेजी लाने या देरी करने की संभावना रखते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता/उपभोक्ता ने प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, और न ही किसी प्रयोक्ता एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करते हुए प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध किए हैं।
107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य रूप से, पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके। पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग के लिए संरक्षण का उपाय नहीं है, बल्कि कीमत सुधार का एक साधन है जो विदेशी उत्पादकों द्वारा किए जाने वाले अनुचित कीमत भेदभाव का समाधान करता है, जो भारतीय उद्योग के लिए हानिकारक है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होगा और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी; बल्कि, यह केवल यह सुनिश्चित करेगा कि आयात उचित, क्षतिरहित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करें।
108. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों में अधिकांशतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं और वे बिखरे हुए स्वरूप के हैं। भारत में संबद्ध वस्तुओं के 40 से अधिक ज्ञात उत्पादक हैं, जो सभी एमएसएमई वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और उद्योग की विशेषता कम प्रवेश बाधाएं हैं, जिसमें एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए मुश्किल से एक महीने और लगभग 25 लाख से 1 करोड़ रुपये की मामूली कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। यह नोट किया गया है कि ये उत्पादक संबद्ध

वस्तुओं के कम कीमत वाले आयातों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, जिनमें निरंतर कीमत कटौती को अवशोषित करने के लिए बड़े उद्यमों के वित्तीय लचीलेपन की कमी है।

109. यह आगे नोट किया जाता है कि पाटित आयातों के वर्तमान स्तर पर, घरेलू उद्योग की अत्यधिक क्षमताएं अप्रयुक्त पड़ी हैं - क्षमता उपयोग पूरी क्षति अवधि के दौरान 27% से 30% की संकीर्ण सीमा में रहा है। बाजार हिस्सेदारी का अधिकांश भाग पाटित आयातों के प्रभुत्व में है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी आधार वर्ष के 2% से बढ़कर जांच अवधि में 51% हो गई है, जबकि इसी अवधि में भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी 98% से घटकर 49% हो गई है। यह कम उपयोग घरेलू उद्योग की ओर से विनिर्माण क्षमता की किसी कमी के कारण नहीं है, बल्कि लगातार पाटन, कीमत ह्रास और बाजार हिस्सेदारी के परिणामी नुकसान का प्रत्यक्ष परिणाम है।

110. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस अनुरोध को नोट करते हैं कि निम्नलिखित कई उत्पादकों ने जांच अवधि और जांच अवधि के बाद के समय में प्रचालन बंद कर दिया है:

- क. भाग्यलक्ष्मी इंडस्ट्रीज
- ख. उगम इंडस्ट्रीज
- ग. जेपी केस
- घ. शिवम केस
- ड. जेके केस/जय खोडल इंडस्ट्रीज
- च. प्रेक्षा केस
- छ. कुलदेवी केस
- ज. फिट्टो इंडस्ट्रीज
- झ. धरती पॉलिमर्स
- ञ. पीवी कम्युनिकेशन

111. मोबाइल कवर एक अंतिम उपयोग उत्पाद है जिसमें किसी भी डाउनस्ट्रीम उद्योग की कोई भागीदारी नहीं है। इसलिए शुल्क का प्रभाव, यदि कोई हो, उपभोक्ता कल्याण के संबंध में नगण्य होगा। घरेलू उद्योग ने उस प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है जो पाटनरोधी

गैर-गोपनीय

शुल्क अंतिम प्रयोक्ताओं पर डाल सकता है और इस प्रकार निर्धारित प्रभाव 1% से कम है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अंतिम प्रयोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर अपने अनुरोधों के लिए कोई पुष्टि, साक्ष्य या परिमाणीकरण प्रदान नहीं किया है, और प्रतिकूल उपभोक्ता हित पर उनके दावे अप्रमाणित और असमर्थित हैं। अंतिम ग्राहक पर प्रभाव निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

अंतिम उपभोक्ता पर मोबाइल कवर का प्रभाव	यूनिट	कीमत	
		एडीडी के बिना	एडीडी सहित
मोबाइल कवर की कीमत	रू./नग	***	***
नियत पाटनरोधी शुल्क	रू./नग	***	***
एडीडी के साथ मोबाइल कवर की कीमत	रू./नग	***	***
आयातक का मार्जिन 10% की दर से	रू./नग	***	***
वितरक का मार्जिन 10% की दर से	रू./नग	***	***
खुदरा विक्रेता का मार्जिन 20% की दर से	रू./नग	***	***
ग्राहक के लिए कुल लागत	रू./नग	***	***
कीमत में वृद्धि		***	***
कीमत का प्रभाव			0.93

ठ. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियाँ

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

112. प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए सारभूत तथ्यों पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं:

- (i) मोबाइल कवर विनिर्देशों में भिन्नता रखते हैं—सामग्री (सिलिकॉन, टीपीयू, पॉलीकार्बोनेट, चमड़ा, धातु), डिज़ाइन की जटिलता, विभिन्न फोन मॉडलों के साथ अनुरूपता, तथा विशेषताएं (आघात अवशोषण, जलरोधन, वॉलेट कार्यक्षमता)। ऐसी भिन्नताओं के कारण संपूर्ण उत्पाद श्रेणी पर कोई सार्थक नियत अथवा संदर्भ कीमत शुल्क निर्धारित करना कठिन हो जाता है।
- (ii) कोई विशिष्ट शुल्क अथवा संदर्भ कीमत, निर्यातकों को उच्चतर मूल्य घोषित करके शुल्क का परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहन उत्पन्न करेगी।
- (iii) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे वर्तमान जांच में यथामूल्य (एड वैलोरम) शुल्क को पाटनरोधी उपाय का सर्वाधिक उपयुक्त और न्यायसंगत रूप मानें, क्योंकि यह पाटन/क्षति की आनुपातिकता सुनिश्चित करता है, अल्प-बीजकन अथवा शुल्कों के अवशोषण को रोकता है, और प्रत्येक आयात के वास्तविक लेनदेन मूल्य के अनुरूप समायोजित होकर वास्तविक निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखता है।
- (iv) उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत पाटन मार्जिन पर आधारित निर्यातक-विशिष्ट यथामूल्य शुल्क, अथवा वैकल्पिक रूप से निर्यातक-विशिष्ट दरों सहित देश-व्यापी यथामूल्य शुल्क अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे परिवर्तन के अवसरों को समाप्त करते हुए, यदि कोई क्षतिकारी पाटन हो, तो घरेलू उद्योग को प्रभावी राहत प्राप्त होगी।
- (v) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह अभिनिर्धारित करें कि उत्तरदाता उत्पाद के पाटन में संलग्न नहीं हैं तथा किए गए आयात तथाकथित पहुंच मूल्य से उल्लेखनीय रूप से अधिक कीमत पर हैं।

ठ.2 घरेलू उद्योग के विचार

113. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं:

- (i) भारतीय मोबाइल कवर उद्योग अत्यधिक खंडित है और मुख्यतः सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है; प्रवेश की न्यून बाधाओं के परिणामस्वरूप उद्योग की संरचना असंगठित एवं कीमत-संवेदनशील है, जो निम्न-कीमत आयातों से उत्पन्न आघातों को सहन करने में असमर्थ है।
- (ii) संबद्ध वस्तुओं के आयात-प्रोफाइल में आयात बाजार के निम्न-कीमत खंड में संकेंद्रित हैं, जो घरेलू उद्योग के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- (iii) प्रीमियम खंड में आयात एक विशिष्ट (आला) बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि निम्न-मूल्य खंड वह प्रमुख बाजार है जिसमें घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा करता और परिचालन करता है।
- (iv) जांच अवधि में संबद्ध आयातों ने घरेलू कीमतों में 87% तक कटौती की है, जिससे उल्लेखनीय कीमत अवनमन हुआ है।
- (v) चूंकि चीन जन.गण. से आयात भारत में कुल आयातों का 99% हैं और कोई अन्य योगदायी कारक अभिनिर्धारित नहीं हुआ है, अतः पाटित आयात ही क्षति का एकमात्र स्पष्ट कारण हैं, और प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे तदनुसार कारणात्मक संबंध की पुष्टि करें।
- (vi) शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित में है, क्योंकि भारतीय उद्योग मुख्यतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से मिलकर बना है, जिनमें निरंतर पाटन को सहन करने की वित्तीय सुदृढ़ता का अभाव है।
- (vii) पर्याप्त मांग के बावजूद, क्षमता उपयोग निम्न बना हुआ है, और अतिरिक्त क्षमता तीव्रता से एवं अल्प लागत पर—लगभग ₹25 लाख प्रति मशीन—जोड़ी जा सकती है, तथा इकाई एक माह के भीतर परिचालनरत हो जाती है।

गैर-गोपनीय

- (viii) संबद्ध आयातों के अत्यंत निम्न पहुंच मूल्य के कारण, जांच अवधि तथा जांच-अवधि-पश्चात कई उत्पादक पहले ही अपना परिचालन बंद कर चुके हैं।
- (ix) संबद्ध वस्तुएं एक अंतिम उपयोग उत्पाद हैं और प्रस्तावित शुल्क का उपभोक्ताओं पर प्रभाव नगण्य है, जो 1% से कम है।
- (x) माननीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण ने चीन जन.गण. से मेट कोक के मामले में अभिनिर्धारित किया कि पाटनरोधी शुल्क डॉलर के रूप में नियत किया जाना चाहिए ताकि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण संरक्षण के स्तर का क्षरण न हो; अतः, शुल्क को भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण संरक्षण की मात्रा के क्षरण को रोकने तथा आयातकों द्वारा किसी दुरुपयोग या अपप्रयोग को रोकने के लिए, पांच वर्ष की अवधि हेतु अमेरिकी डॉलर में अभिव्यक्त नियत रूप में अधिरोपित किया जाना चाहिए।
- (xi) संदर्भ कीमत के रूप में अथवा यथामूल्य आधार पर शुल्क के अधिरोपण का विरोध किया जाता है, क्योंकि आयात कीमत में पहले ही उल्लेखनीय गिरावट आ चुकी है।
- (xii) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे यह निष्कर्ष निकालें कि विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. से भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किया जाता है, आयातों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति चीन जन.गण. से पाटित आयातों के कारण हुई है, तथा पांच वर्ष की अवधि हेतु पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करें।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

114. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन-पश्चात अभ्यावेदनों की जांच की है। यह पाया गया है कि इनमें से अधिकांश अभ्यावेदन ऐसे तर्कों और अभिकथनों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी जांच पहले ही की जा चुकी है और जिन्हें इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराग्राफों में यथावश्यक सीमा तक निपटाया जा चुका है। संक्षिप्तता के हित में, प्राधिकारी ने इस प्रकटन-पश्चात जांच में ऐसे अभ्यावेदनों के प्रति प्रत्युत्तर को दोहराने से परहेज किया है।

115. प्राधिकारी ने शुल्क के रूप के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अभ्यावेदनों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क का रूप वर्तमान जांच के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटित आयातों से कारित क्षति के प्रभावी निवारण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से निर्धारित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद उल्लेखनीय रूप से भिन्न-भिन्न कीमतों पर आयात किया गया है। जहां बाजार के निम्न-कीमत खंड में उल्लेखनीय आयात हैं, वहीं उत्पाद के आयात कहीं अधिक उच्च कीमत पर भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यथामूल्य शुल्क, घोषित आयात मूल्य से प्रत्यक्षतः संबद्ध होने के कारण, उच्च-कीमत आयातों पर शुल्क का कहीं अधिक भार डालेगा और निम्न-कीमत आयातों पर शुल्क का कम भार डालेगा। परिणामस्वरूप, आयात कीमत उच्च होने पर भी उपभोक्ता शुल्क का अधिक भार वहन करेंगे। साथ ही, निम्न कीमतों पर आयात करने वाले उपभोक्ता शुल्क की कम मात्रा का भुगतान करेंगे, जिससे पाटन के क्षतिकारी प्रभावों के विरुद्ध पर्याप्त और स्थिर उपाय प्राप्त नहीं होगा। अतः, प्राधिकारी यथामूल्य रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं मानते और वर्तमान जांच के तथ्यों तथा परिस्थितियों में शुल्क की नियत मात्रा को अधिक उपयुक्त मानते हैं।

ड. निष्कर्ष

116. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई आपतियों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अभ्यावेदनों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपर्युक्त निष्कर्षों में अभिलिखित है, और पाटन, क्षति तथा घरेलू उद्योग के साथ कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:
- (i) विचाराधीन उत्पाद का दायरा मोबाइल फोनों के लिए मोबाइल कवर है, जिन्हें मोबाइल फोन केस, स्मार्टफोन केस, सुरक्षात्मक मोबाइल शेल, मोबाइल फोन सुरक्षात्मक कवर के नाम से भी जाना जाता है। अस्कैन अरैमिड फाइबर से बने मोबाइल कवर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

- (ii) घरेलू उद्योग ने विचाराधीन आयातित उत्पाद के समरूप वस्तु का उत्पादन किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण एवं विपणन की दृष्टि से तुलनीय हैं तथा तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
- (iii) आवेदक कंपनियां पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के संदर्भ में घरेलू उद्योग का गठन करती हैं और आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संदर्भ में मानक (स्टैंडिंग) की अपेक्षा को पूरा करता है। संपूर्ण उद्योग एमएसएमई श्रेणी में आता है, जिसमें अधिकांश लघु-स्तरीय उद्योग हैं।
- (iv) घरेलू उद्योग की खंडित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ विस्तृत जांच हेतु, व्यापार नोटिस 09/2021 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूपों में सूचना प्रस्तुत करने वाली सत्रह आवेदक कंपनियों में से चार कंपनियों का चयन किया।
- (v) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच के प्रयोजनार्थ, लेनदेनों की सम्यक जांच के पश्चात, डीजीसीआईएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- (vi) जहां तक चीन जन.गण. का संबंध है, किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है, अतः चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में दी गई अथवा देय कीमत के आधार पर किया गया है।
- (vii) निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दाखिल लेनदेन-वार सूचना, संगत आयात आंकड़ों के आधार पर, और जहां स्वीकार किया गया, वहां सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए आवश्यक समायोजन करने के पश्चात किया गया है।
- (viii) संबद्ध देश से कुल आयातों के मात्र 0.05% का गठन करने वाले उत्तरदायी निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन ऋणात्मक है। संबद्ध देश के गैर-

गैर-गोपनीय

सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन धनात्मक और उल्लेखनीय है।

- (ix) विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- (x) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में वृद्धि हुई है।
- (xi) संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत में कटौती कर रहे हैं।
- (xii) संबद्ध आयातों ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है।
- (xiii) संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। भारतीय मांग के पर्याप्त भाग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की क्षमता अत्यधिक अल्प-उपयोगित है।
- (xiv) घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानदंडों में जांच अवधि तक उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- (xv) संबद्ध देश से कुल आयातों के मात्र 0.05% का गठन करने वाले सहयोगी उत्पादकों के लिए क्षति मार्जिन ऋणात्मक है। संबद्ध देश के गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन धनात्मक और उल्लेखनीय है।
- (xvi) पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है। जांच में संबद्ध देश से पाटन के अतिरिक्त कोई अन्य ऐसा कारक प्रकट नहीं हुआ जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर सकता।
- (xvii) घरेलू उद्योग वास्तविक क्षति भोग रहा है, और पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित में होगा। भाग लेने वाले किसी भी प्रयोक्ता, उपभोक्ता अथवा आयातक ने शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव को परिमाणित नहीं किया है अथवा उस पर कोई अभ्यावेदन नहीं किया है।

गैर-गोपनीय

(xviii) शुल्कों का अधिरोपण निम्नलिखित कारणों से सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा:

(क) विचाराधीन उत्पाद एक अंतिम उपयोग उत्पाद है और इसका उपयोग किसी अनुप्रवाही उत्पाद के विनिर्माण में नहीं किया जाता।

(ख) प्राधिकारी ने अंतिम प्रयोक्ताओं पर अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की है। शुल्क का परिमाणित प्रभाव 1% से कम है।

ढ. सिफारिश

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई थी तथा घरेलू उद्योग, ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने तथा संचालित करने के पश्चात, प्राधिकारी का मत है कि पाटन और क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण अपेक्षित है। प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के चीन जन.गण. से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक समझते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।
118. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर अंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नियमावली के नियम 17(1)(ख) के दूसरे परंतुक के अनुसार, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं:

गैर-गोपनीय

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक/निर्यातक	राशि (अमेरिकी डॉलर/ हजार पीस)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	392610, 392640, 392690, 851760, 851770, 851779	मोबाइल कवर, अस्किन अरैमिड फाइबर से बने कवरों को छोड़कर	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	डोंगगुआन कयांगशुओ टेक्नोलॉजी कं. लि.	शून्य
2.	यथोपरि	यथोपरि	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	डोंगगुआन लोंगचेंग लेदरवेयर कं. लि.	शून्य
3.	यथोपरि	यथोपरि	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक/निर्यातक	72

*टिप्पणी- सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

**टिप्पणी - उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का अनुप्रयोग सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली संस्था के

गैर-गोपनीय

किसी अधिकारी, जिसकी पहचान उसके नाम और पदनाम से की गई हो, द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित, निम्नानुसार तैयार की गई घोषणा अंकित होगी:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक के अंतर्गत भारत को निर्यात हेतु विक्रय किए गए (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (देश का नाम) में (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है।”

यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमाशुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

119. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य वह निर्धारणीय मूल्य होगा जो सीमाशुल्क द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत निर्धारित किया जाए, तथा इसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क के सभी शुल्क सम्मिलित होंगे।

ण. आगे की प्रक्रिया

120. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील, अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 24-09-2026
18:03:15
(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी